



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 06) पटना शुक्रवार 1 जनवरी 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

29 दिसम्बर 2020

सं०-5 न०वि०/गठन-11/2020-4425 न०वि० एवं आ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-5 न०वि०/गठन-11/2020— /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी कॉलम 5 में दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है तथा उक्त क्षेत्र को कॉलम 2 में अंकित नगर पंचायत कहा जायेगा :-

क्रमांक	प्रस्तावित नगर निकाय का नाम/प्रखण्ड	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम-समस्तीपुर					
1	नगर पंचायत सिंधिया (सिंधिया)	सिंधिया-127	ग्राम पंचायत सिंधिया-01 (आंशिक भाग) सिंधिया-02 एवं 03 (पूर्ण भाग)	उत्तर-मोहम्मदपुर-37, लदौत-36 दक्षिण-दामोदरपुर-141 पूरब-धकजरी-190, परसौना-186 पश्चिम-बेतौना-93, धनौजा-87	31952

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 06-571+200-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>